न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 65 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.नगाराम 2.गणपसिंह 3.भोमाराम 4. जोगाराम पिसरान देवाराम 5.श्रीमती केसी देवी पत्नी देवाराम जातियान जाट निवासीयान राऊजी की ढाणी, कवास तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर		1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेंर ग्रामीण 2.मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा कवास

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री डालूराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 01.12.2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा राऊजी की ढाणी, कवास तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 370 रकबा 0.0162 हैक्टेयर गै.मु., खसरा संख्या 462/371 रकबा 5.8356 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469/371 रकबा 0.4290 हैक्टेयर, खसरा संख्या 470/371 रकबा 5.4632 हैक्टेयर की आई हुई हैं। प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 462/371 के खसरा संख्या 366 के सेढा–सेढ पर खसरा संख्या 469/371 रकबा 0.4290 गै.मु. रास्ता निकलता हैं जो वैल पेड संख्या 3 से हरखोणी गोदारो की ढाणी तक 3 कि.मी. जो मौके पर सड़क बनी हुई हैं लेकिन हल्का पटवारी ने कटाण रास्ते खसरा संख्या 469/371 की तरमीम करते समय दूसरी जगह खसरा संख्या 470/371 के सेढा पर कर दी गई हैं जहां पर वर्तमान में तरमीम नहीं है। सड़क खसरा संख्या 366 के सेढा–सेढ प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 462/371 में बनी हुई हैं। राजस्व रेकर्ड में सड़क की गलत तरमीम की गई हैं जिसको निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। उक्त खसरा संख्या 469/371 गै.मु. रास्ता जो वैल पेड संख्या 03 से हरखोणी गोदारों की ढाणी तक जाती हैं जो महत्वपूर्ण रास्ता होने के कारण हर समय उक्त सड़क पर आवागमन चलता रहता है तथा अभी वर्तमान में उक्त रास्ते पर मुरड़िया सड़क बनी हुई हैं तथा जल्द हीं डामर [illegible] की संभावना है इसलिए उक्त सड़क की तरमीम वास्तविक मौके [illegible] की जाये [illegible] जिससे खातेदार को नुकसान नहीं उठाना पड़े इस कारण से वर्तमान [illegible] नजरी नक्शा में [illegible] स्याही से अंकित स्थान जो "अ" से "ब" तक राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरस्त करने का आदेश करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.02.02 18:17:21 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 का नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त होने एंव उनके उपस्थित होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई।

उप खण्ड अधिकारी बाडमेर

प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक [illegible]/2025/628 दिनांक 23.04.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि ग्राम राऊजी की ढाणी के खसरा संख्या 462/371, 470/371 प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से खसरा संख्या संख्या 469/371 गै.मु. रास्ता की भूमि आई हुई है जो कि प्रार्थी की भूमि को दो भागों में विभाजित करता है। मौके पर खसरा संख्या 462/371व 366, 361, 463/371 की सीमा पर पक्की डामर सड़क बनी हुई है। खसरा संख्या 469/371 पर चलने वाले रास्ते को बंद कर उसे डामर सड़क पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से चलने वाला रास्ता खसरा संख्या 406/367 व खसरा संख्या 471/371 पर डामर सड़क यथावत रखी जाकर आवागमन जारी है। खसरा संख्या 469/367 की भूमि खातेदार स्वयं के नाम दर्ज गै.मु. रास्ता भूमि हैं। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 462/371 व 470/371 की भूमि को संयुक्त कर खसरा संख्या 469/371 का संलग्न परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार तरमीम को दुरस्त किया जाना उचित है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा राऊजी की ढाणी, कवास तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या के खसरा संख्या 462/371, 470/371 प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से खसरा संख्या संख्या 469/371 गै.मु. रास्ता की भूमि आई हुई है जो कि प्रार्थी की भूमि को दो भागों में विभाजित करता है। मौके पर खसरा संख्या 462/371व 366, 361, 463/371 की सीमा पर पक्की डामर सड़क बनी हुई है। खसरा संख्या 469/371 पर चलने वाले रास्ते को बंद कर उसे डामर सड़क पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से चलने वाला रास्ता खसरा संख्या 406/367 व खसरा संख्या 471/371 पर डामर सड़क यथावत रखी जाकर आवागमन जारी है। खसरा संख्या 469/367 की भूमि खातेदार स्वयं के नाम दर्ज गै.मु. रास्ता भूमि हैं। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 462/371 व 470/371 की भूमि को संयुक्त कर खसरा संख्या 469/371 का संलग्न परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार तरमीम दुरस्त करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत्, नक्शों,एवं संलग्न परिशिष्टों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा राऊजी की ढाणी, कवास तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला ब[illegible] खसरा संख्या 370 रकबा 0.0162 हैक्टेयर गै.मु., खसरा संख्या 462/371 रकबा 5.83[illegible] हैक्टेयर, खसरा संख्या 469/371 रकबा 0.4290 हैक्टेयर, खसरा संख्या 470/371 रकबा 5.4632 हैक्टेयर भूमि में खसरा संख्या 469/367 की भूमि खातेदार स्वयं के नाम दर्ज गै.मु. रास्ता भूमि हैं। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 462/371 व 470/371 की भूमि को संयुक्त कर खसरा संख्या 469/371 की वर्तमान तरमीम को निरस्त कर संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.02.02 18:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के आधार में स्वीकार किया जाकर मौजा राऊजी की ढाणी, कवास तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 370 रकबा 0.0162 हैक्टेयर गै.मु., खसरा संख्या 462/371 रकबा 5.8356 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469/371 रकबा 0.4290 हैक्टेयर, खसरा संख्या 470/371 रकबा 5.4632 हैक्टेयर भूमि में खसरा संख्या 469/367 की भूमि खातेदार स्वयं के नाम दर्ज गै.मु. रास्ता भूमि हैं। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 462/371 व 470/371 की भूमि को संयुक्त कर खसरा संख्या 469/371 की वर्तमान तरमीम को निरस्त कर संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट "अ" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.02.02 18:17:21 IST
Reason: SelfAttested